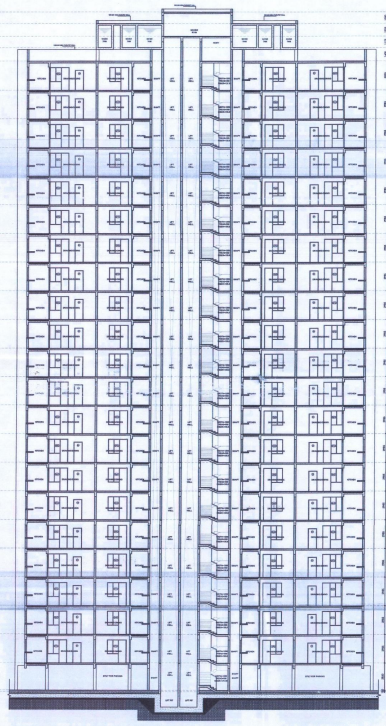

SECTION-AA

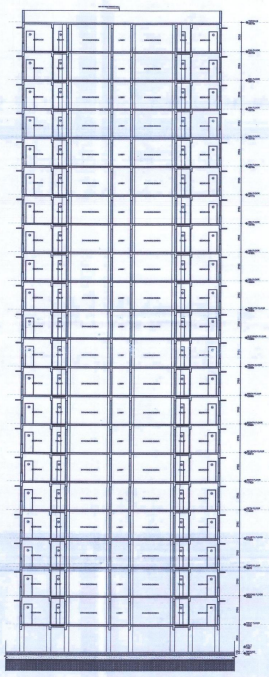

SECTION-BB

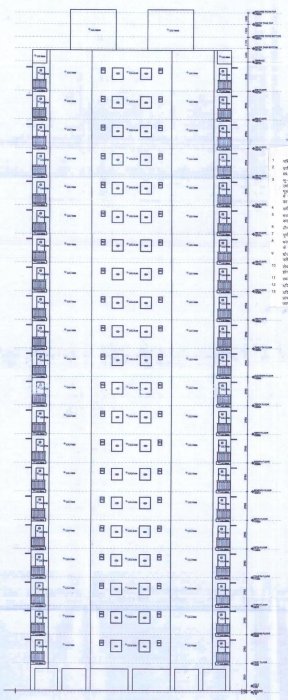

LEFT SIDE ELEVATION

प्रतिबन्ध आरोपित (मानचित्रारी) आवास योजना

1. परियोजना में प्रस्तावित 24 मी0 चौड़ा मार्ग का अन्तर्गत आने परियोजना भू0 से रिक्त कराना।
2. प्राधिकरण एवं विभागवालों की भवन निर्माण विकास अनुज्ञा दिनांक 20.03.2007 व भवन विनियम दिनांक 20 संशोधन का अक्षरशः पालन करना होगा।
3. भू-भाग्नित तथा भूमि उप-विभाजन के समय में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विभागवाले केवल जमीन भूमि का विभाजन करेंगे। भूमि का चकबन्दी, सीलिंग, भू-राजस्व, नगर पालिका परिषद आदि की कार्यवाही करानी है या नहीं है। यह भवन का पूर्णतया/आंशिकतया भूमि अन्य की जमीनों विवादग्रस्त है या नहीं है। यह भवन का पूर्णतया/आंशिकतया भूमि अन्य की जमीनों विवादग्रस्त है या नहीं है।
4. अधिकृत क्षेत्रफलादि के अन्य भी शेष मानचित्र पास के अनुसार मूलतत्पर्यन्त अनिवार्य होगा।
5. भवन मानचित्र स्वीकृति भवन पास मानचित्रों के अनुसार भवन का पूरा पिलिंग निर्माण किया जाना मूलतिबन्ध अवश्य होगा तथा मूलभवन मूलतः व विभाजन अनुज्ञा अवश्य होगा।
6. लैण्ड बाउंडरी वाल व पर्याप्त पानी के मूलतत्व भवन का भी निर्माण करना पूर्ण होना चाहिये।
7. मूलतः अवश्य पास अवश्य होगा तथा अंतिम प्रतिबन्ध का निर्माण अनुपात नहीं होगा।
8. भवन मानचित्र स्वीकृति प्राप्त पास निर्माण प्रतिबन्ध एवं सीमा सीमा निर्माण का भवन पास अधिकारी मानचित्रों के अनुसार पूर्ण करना होगा।
9. भवन मानचित्र स्वीकृति निर्माण होने के पश्चात अवशिष्ट संख्या-4, सी व डी के अन्तर्गत अवशिष्ट भूमि प्रयोग प्रतिबन्ध का भवन मानचित्र प्रस्तुत के स्वीकृति करना होगा।
10. जिला एवं 4 मंजिला सीढ़ी सीढ़ि का अनुपालन करने के समय-समय निर्माणानुसार होना होगा का मूलतत्व करना होगा।
11. भवन पर मानचित्र स्वीकृति करवाने मूलतत्व अवश्य होगा।
12. यदि कोई उपरोक्त निबन्धनों में से प्रतिबन्धन प्रकार भंग करते पाए प्राधिकरण पास नवल होगा।
13. यदि भविष्य में ऐसी कोई बात प्रकाश में आती है कि विभागवालों द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्राधिकरण का अनुपालन नहीं किया गया तो पास हो जाने के मानचित्र भवन निरस्त पास कर दिया जाएगा।

भवन मानचित्र प्रारूप मोड़ पर पेंसिल से कि किसी प्रतिबन्ध मोड़ में भवन प्रारूप तथा इस प्रतिबन्ध और प्रतिबन्ध का भवन में कि किसी प्रतिबन्ध मूलतः निरस्त पास पर है।

PROJECT
PROPOSED GROUPED HOUSING PROJECT AT VILLAGER- HARSHPURWA, TEHSIL-SAHIBABAD, DISTRICT-GHAZIABAD, U.P.

OWNER AND CLIENTS
MORNA BUILDERS PVT. LTD.
MORNA BUILDERS PVT. LTD.
MORNA BUILDERS PVT. LTD.

ARCHITECT
Sapna Kidar (Regd. No. 1-1-1-